

**जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०**

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू मास्टर प्लान, इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0294 2651337 (दि) 2651388(दि) फैक्स नं- 2741670
जोधपुर पिन नं. 342002 (दि) 2651312 (दि) फैक्स नं. 2740021

क्रमांक- अप्रति/जोधपुर डिस्कॉम/पनु-सीपीएम/प.नं० / प्रो.सं० 22/ जोधपुर दिनांक 14/11/05

आदेश

विषय: भूमि कनेक्शन के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में ।

आदेश, क्रमांक/अप्रति/जोधपुर डिस्कॉम/अनु.सीपीएम/मु.अ.(संशोधन)/
जो./प्र.स.769 दिनांक 08.08.2005 से जारी आर.ई.ओ.-97 के द्वारा कृषि कनेक्शन नीति
2004 (संशोधित 18.09.2004) के विन्दु संख्या 22 (भाग-111-पपप्रद(क) में आंशिक संशोधन
कर निर्णय लिया गया था कि कृषि कनेक्शन जारी होने के पश्चात उसे उसी ग्राम पंचायत में
स्थानान्तरित किया जा सकता है जिस ग्राम पंचायत में मूल कनेक्शन जारी किया गया था ।
साथ ही जिस भूमि पर कनेक्शन स्थानान्तरित किया जाता है उस भूमि का स्वामित्व प्राप्ती के
नाम से कम से कम 2 वर्ष से पूर्व होना चाहिये ।

दिनांक 24/25 अक्टूबर, 2005 को आयोजित समन्वय समिति की 87 वीं बैठक
में निर्णय लेकर उपरोक्त प्रावधानों में आंशिक संशोधन कर 'पंचायत' शब्द की जगह
'पंचायत समिति' किया जाता है ।

समन्वय समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन कृषकों को कृषि
हेतु राज्य सरकार द्वारा जमीन आवंटन हुई है उनका कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण भी उपरोक्त
नियम के अन्तर्गत सम्बन्धित पंचायत समिति क्षेत्र में ही किया जावे । इस प्रकार से
स्थानान्तरण पर भी भूमि का स्वामित्व प्राप्ती के नाम से कम से कम दो वर्ष पूर्व से होना
चाहिये ।

उपरोक्त दोनों ही प्रकार के कृषि कनेक्शनों के स्थानान्तरणों को प्राथमिकता
पूर्व में जमा ही चुके भूगण्टों के बाद ही जादेगी ।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

(एच.एस.देवडा)

मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को भेजे सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जोधपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर / बीकानेर
3. सलाहकार(गोविन्दरिंग) मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. जिलाधीश, जोधपुर / पाली / बाँसौर / बाड़मेर / सिरोंही / जैसलमेर / बीकानेर /
5. सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
6. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प.स.-जो./बी.जो.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर
7. मुख्य लेखाधिकारी / निदेशक सलाहकार, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
8. अधीक्षण अभियन्ता () जोधपुर डिस्कॉम
9. प्रा.वै. सहा. प्रमुख निदेशक जोधपुर/जयपुर/अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर/अजमेर ।
10. आविशाकी अभियन्ता () जोधपुर डिस्कॉम
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी (वि.सं./अ.कै.शं.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर
12. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
13. अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस (अधीक्षक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
14. सहायक अभियन्ता () जोधपुर डिस्कॉम
15. सहायक प्रमुख, जिला पुलिस, जोधपुर /
16. श्रीमान
17. श्रीमान
18. जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)